संख्या-6/2019/97/चालीस-19-27(75)/84टी0सी0

प्रेषक,

प्रांजल यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊः दिनांक 18 मार्च, 2019

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, लखनऊ को अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्रांक-4574/एकीकरण/2018-19, दिनांक 27-02-2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, लखनऊ को मौलाना आजाद साहित्य से सम्बन्धित उर्दू, वाचनालय, प्रालेख्य केन्द्र की स्थापना, धर्म निरपेक्षता पर आधारित शिक्षण के लिए ठोस प्रयास करने, विचार गोष्ठियों का आयोजन करने आदि कार्यो हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम किश्त के रूप में रूपये 7,50,000/(रूपये सात लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित व्यवस्था के अनुसार अनुदान के रूप में भुगतान किए जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं;-

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग की अधिसूचना संख्या-822/चालीस-14-27(75)/84, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा निर्गत नियमावली में उल्लिखित उद्देश्य एवं प्रयोजनों के लिये ही किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अकादमी नियमावली में उल्लिखित अनुदान की शर्तों का पालन कर रही है। इस हेतु वित्त विभाग के संगत नियमो/शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, लखनऊ को स्वीकृत अनुदान का भुगतान जिलाधिकारी, लखनऊ के माध्यम से किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन उद्देश्यों के लिए उक्त संस्था को स्थापित किया गया है उसकी पूर्ति हो।

(3) संस्था को स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी, लखनऊ कोषागार से आहरित करेंगे तथा संस्था को धनराशि भुगतान करने से पूर्व संस्था से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे कि संस्था द्वारा उसी प्रयोजन हेतु आलोच्य वर्ष में किसी अन्य सरकारी विभाग आदि से कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है, और न ही प्राप्त करेगा।

(4) धनराशि आहरण के उपरान्त कोषागार से धनराशि निकालने की वाउचर संख्या व दिनांक तथा संस्था को भुगतान किए जाने की तिथि से शासन को यथासमय अवगत कराया जायेगा।

(5) जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागार से उतनी ही धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

आहरित की जायेगी, जितनी धनराशि 31 मार्च, 2019 तक व्यय हो सके।

(6) जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा द्वितीय किश्त की स्वीकृति का प्रस्ताव स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र, विगत तीन वर्षो (2015-16 ,2016-17 व 2017-18) की लेखा परीक्षा रिपोर्टस में उठायी गयी आपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण तथा अकादमी द्वारा प्रकाशित अद्यावधिक मासिक जर्नल की प्रति के साथ अपनी संस्तुति सहित शासन को अबिलम्ब उपलब्ध कराया जाय, ताकि द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जा सके।

(7) जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, लखनऊ को अनुदान स्वीकृत करते समय दिनांक 10-03-2019 से प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता में उल्लिखित शर्तों/प्राविधानों का भी ध्यान रखा जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय'-व्ययक की अनुदान सं0-53 के लेखाशीर्षक- 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-मौलाना आजाद स्मारक अकादमी को अनुदान -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

प्रांजल यादव
विशेष सचिव।

<u>संख्या-6/2019/97(1)/चालीस-2019-27(75)/84 टी0सी0, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ/ मण्डलायुक्त, लखनऊ ।
3- महालेखाकार (लेखा'-परीक्षा) -1, उ0प्र0 , इलाहाबाद, स्वा0 नि0, 2(सी) अनुभाग।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ ।
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद/ लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अनुदान से सम्बन्धित लेखों का नियमानुसार आडिट कराकर आडिट रिपोर्ट की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8- सचिव, मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, औरंगाबाद, खालसा, बिजनौर रोड, पोस्ट-बिजनौर, लखनऊ-2, मो0 9336984433
9- बजट सहायक, राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अशोक कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in